न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00237 (124/2018) 225 आरटीएक्ट

बलराम पुत्र श्री मनफूलराम जाति जाट (रेवाड़), निवासी रतनपुरा, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। – अपीलान्ट

बनाम

1. केवलराम पुत्र श्री मनीराम जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 21 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ़
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

–– रेस्पोडैन्टस

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.06.2017 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी संगरिया प्रकरण सं.81/2013 बअनवानी "केवलराम बनाम बलराम"

उपस्थितः–
श्री लालचंद वर्मा अधिवक्ता अपीलांट
श्री रमेश पुरोहित रेस्पो0 सं0 1
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

निर्णय दिनांक – 03.9.21

1. प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पो. सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर अपनी कृषि भूमि चक 4 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 खाता सं. 15 के प.नं. 169/185 मु.नं. 19 के किला नं. 6 ता 8, 13 ता 18 व प. नं. 170/185 मु.नं. 20 के किला नं. 10 ता 15 व 17 ता 20 कुल 4.808 है0 में आवागमन हेतु इसी चक के पं. नं. 170/185 मु.नं. 20 के किला नं. 21 में पश्चिम दिशा में पत्थर लाईन से चिपता हुआ दक्षिण से उतर की ओर एक बिस्वा चौड़ा एवं 165 फीट लम्बा रास्ता बना होना अंकित करते हुए उक्त रास्ता आम को राजस्व रिकॉर्ड में मंजूर किया जाकर अमल दरामद करवाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी ने हाजिर आकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का आग्रह किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार [illegible] कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर रास्ता स्वीकार किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो. सं. 1/प्रार्थी ने अपीलांट की खातेदारी भूमि के उक्त किला नं. 21 में से होते हुये कभी आवागमन नहीं किया तथा न ही यह रास्ता मौके पर मौजूद है। रेस्पो. सं. 1 व उसके भाई कृष्णलाल के पुत्र दीपक व एक अन्य सगे भाई केसरी सिंह की खातेदारी भूमि रेस्पो. सं. 1 की भूमि के चिपते हुए खाता सं. 35/34 व 13/14 में स्थित है। पूर्व में तीनों भाईयों की यह भूमि संयुक्त खाता की थी तथा इस संयुक्त खाता की भूमि पत्थर नं. 186 पर स्वीकृत रास्ता के चिपते हुये थी तथा पत्थर नं. 167/185 (17) का किला नं. 25 व पत्थर नं. 168/185 के किला नं. 21–22–23–24 उक्त मंजूरशुदा रास्ता के चिपते हुये थे। रेस्पो. सं. 1 इस संयुक्त खाता भूमि में से पत्थर नं. 168/185 (18) के किला नं. 24 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उतर की ओर, इसके पश्चात किला नं. 17 के कार्नर से होता हुआ किला नं. 16 के दक्षिणी सिरे व उसके बाद पत्थर नं.169/185 (19) के किला नं. 19 व 20 के दक्षिणी सिरे होता हुआ अपनी भूमि में आवागमन करता हुआ आया है तथा यह रास्ता आज भी मौजूद है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.04.2014 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के समुचित एवं सही न्याय निर्णयन हेतु इस आश्य की रिपोर्ट पटवारी हल्का से तलब करने हेतु भी निवेदन किया कि रेस्पो. सं. 1 उक्त वर्णित रास्ता से आवागमन कर रहा है एवं रास्ता मौके पर चालु है। इस प्रार्थना पत्र का रेस्पो. सं. 1 ने दिनांक 11.04.2014 को ही जवाब प्रस्तुत कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.04.2014 को इस प्रार्थना पत्र की बहस हेतु तारीख पेशी नियत की लेकिन इस प्रार्थना पत्र पर बहस नहीं सुनी गयी व यह प्रार्थना पत्र अनिर्णित ही रहा। इस बीच मूल प्रकरण के सम्बध में ही तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की जाती रही। रेस्पो. सं. 1 व उसके भाईयों ने अपनी कृषि भूमि का बंटवारा करते समय मौका पर इस रास्ता को चालु रखा है लेकिन जानबूझकर राजस्व रिकार्ड में इस रास्ता का अमलदरामद नहीं करवाया। रेस्पो. सं. 1 व उसके भाईयों ने अपनी संयुक्त खाता भूमि का विभाजन रास्ता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नहीं किया जबकि यह संयुक्त खाता की भूमि मंजूरशुदा रास्ते के चिपते हुए थी। दिनांक 28.1[illegible].2016 को रेस्पो. सं. 2 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट का भी [illegible] उल्लेख नहीं आया तथा आदेशिका दिनांक 25.04.2017 में भी [illegible] आगामी पेशी 15.05.2017 नियत हुई। दिनांक 15.05.2017 के बाद यह [illegible]वली पेशी में नहीं आयी तथा इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बीच राजस्व अभियान में दिनांक 23.06.2017 को अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.12.2016 की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारों को सुने बिना ही एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया जो कि खारिज किये जाने के योग्य है। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 28.12.2016 में भी यह उल्लेख नहीं है कि रेस्पों. सं. 1 द्वारा वांछित रास्ता चालु हो बल्कि इस रिपोर्ट के अनुसार भी प. नं. 170/185 (20) के किला नं. 21 में प्रस्तावित रास्ता के स्थान पर पक्का मकान निर्मित होने के तथ्य आये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस रिपोर्ट का भी कोई विधिक विवेचन एवं विश्लेषण अपीलाधीन आदेश में नहीं किया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कतई गलत एवं विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो. की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतू प. नं. 170/185 मु.नं. 20 कि.नं. 21 से पश्चिम दिशा में पत्थर लाईन पर बने रास्ता आवागमन हेतु चालु है एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी उक्त रास्ते की आवश्यकता होना बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय सुनाये जाने के बाद रेस्पो. द्वारा उक्त रास्ते की एवज में राशी भी तहसील कार्यालय में जमा करवा दी गयी है। उक्त वर्णित रास्ते में कोई मकान नहीं बना हुआ है। अपीलांट द्वारा दिनांक 11.04.2014 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का रेस्पो. द्वारा दिनांक 11.04.2014 को ही जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुए चक 4 एम.जे.डी. के प. नं. 170/185 (20) किला नं. 21 में 0.013 है यानि 165 गुणा 8.25 बराबर 1361.25 वर्गफुट रास्ता स्वीकृत किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका रिपोर्ट संलग्न है। इस मौका रिपोर्ट के बिन्दू सं0 5 (ग) में किला नं. 21 में प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर अपीलाण्ट का पक्का मकान व एक छोटा मंदिर निर्मित होने की रिपोर्ट आई है। इस बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया है। साथ ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपने निर्णय में वैकल्पिक रास्ते एवं रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता के बिन्दूओं पर भी अपना कोई अभिमत नहीं दिया गया है। पत्रावली दिनांक 24.04.2017 को वास्ते रिपोर्ट इंतजार रखी गई थी। लेकिन दिनांक 23.06.2017 को कैम्प नाथवाना में तहसीलदार संगरिया से रिपोर्ट प्राप्त होने के आधार पक्षकारें की बहस सुने बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इस तरह प्रकरण में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। कैम्प कौर्ट में वहीं प्रकरण निस्तारण योग्य उचित रहते हैं जिनमें दोनों पक्षों की सहमति हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय उचित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्राली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9-9-21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/9/21

(करतारसिंह पूनियॉ)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:36 IST
Reason: SelfAttested